विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 302.90 करोड़ के मुद्रा-मूल्य से अंतर्ग्रस्त सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से सम्बंधित दस अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं।

अध्याय-I एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है; **अध्याय-II** में सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से सम्बंधित विभागों/ स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है, जो ₹ 41.85 करोड़ के मुद्रा-मूल्य से अंतर्ग्रस्त पांच परिच्छेदों से मिलकर बने हैं; तथा **अध्याय-III** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है, जिसमें ₹ 261.05 करोड़ के मुद्रा-मूल्य वाले पांच परिच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

अध्याय-II: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल वर्दी का प्रावधान

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरम्भ में वर्दी का कपड़ा उपलब्ध करवाने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुसार योजना बनाने तथा पूरा करने में असमर्थ थी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं आपूर्ति आदेश जारी करने में विलम्ब के कारण 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा 2016-18 एवं 2019-20 की अवधि के दौरान विभागीय प्राधिकारियों ने वर्दी के कपड़ों के वितरण में एक से 11 माह से अधिक का समय लिया। विभागीय प्राधिकारियों ने सिलाई-प्रभार के संवितरण में पांच से 164 दिनों का समय लिया तथा नमूना-जांचित तीन खण्डों में 2016-20 के दौरान 200 विद्यार्थियों को सिलाई-प्रभार का भुगतान नहीं किया गया। निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसी प्रयोगशाला को वर्दी के कपड़े के नमूने के परीक्षण का कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ का अनियमित व्यय (2019-20) हुआ।

(परिच्छेद 2.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

ट्रॉमा केन्द्रों के पूर्ण न होने/ कार्य न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन

विभाग ₹ 10.61 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी पांच अस्पतालों में परिकल्पित ट्रॉमा केन्द्रों को स्थापित करने में विफल रहा। इन अस्पताल प्राधिकारियों के पास ₹ 7.81 करोड़ की निधियां 30 से 57 माह तक बेकार रही।

(परिच्छेद 2.2)

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

परित्यक्त सड़क कार्य पर निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

योजना में विफलता, समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने में देरी एवं विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में देरी के कारण परित्यक्त सड़क कार्य पर ₹ 2.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। उच्च दर मद के अनधिकृत निष्पादन के कारण ठेकेदार को ₹ 0.53 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, इसके अतिरिक्त लोग अपेक्षित लाभ से वंचित रहे।

(परिच्छेद 2.3)

जल शक्ति विभाग

फिना सिंह बांध के निर्माण में फर्म को अनुचित लाभ

अपर्याप्त स्टील कार्य, विचलन हेतु उच्च दरों पर भुगतान, अन्वेषण/डिज़ाइन हेतु भुगतान, गणना न किए गए कार्यों के लिए भुगतान करने के अतिरिक्त गतिविधियों हेतु पहले से ही परिकलित व्युत्पन्न दरों में आठ प्रतिशत जोड़ने के कारण गलत कार्य-क्षेत्र एवं अनुचित मद-दरों के साथ एकमुश्त अनुबंध प्रदान करने के परिणामस्वरूप फार्म को ₹ 19.52 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश में संग्रहालयों का प्रबंधन

विभाग ने 2016-20 के दौरान न तो वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखीकरण एवं संरक्षण के लिए नीति/ दिशा-निर्देश बनाए एवं न ही संग्रहालयों के प्रबंधन हेतु वार्षिक कार्य-योजना बनाई। कला वस्तुओं का अधिग्रहण मनमाने ढंग से किया गया था क्योंकि 2017-20 के दौरान राज्य संग्रहालय, शिमला द्वारा खरीद (1,505) एवं उत्खनन (57) के माध्यम से अधिग्रहित 1,562 वस्तुओं में से 1,494 (96 प्रतिशत) राज्य संग्रहालय, शिमला हेतु एवं 68 धर्मशाला स्थित संग्रहालय हेतु अधिग्रहित किए गए तथा चंबा स्थित संग्रहालय के लिए कोई वस्तु अधिग्रहित नहीं की गई थी।

अभिप्राप्ति रजिस्टरों का रख-रखाव विधिपूर्वक नहीं किया गया था क्योंकि सभी नमूना-जांचित प्रविष्टियों में वस्तुओं की अवस्थितियां (शैल्फ/ केस/ कक्ष) एवं तस्वीरों का उल्लेख नहीं किया गया/ चिपकाया नहीं गया तथा 489 वस्तुओं के सामने वस्तुओं की दिनांक/ अवधि दर्ज नहीं की गई थी। 21,755 वस्तुओं में से 8,663 (40 प्रतिशत) वस्तुओं के लिए डिजीटल प्रलेखीकरण पूर्ण कर लिया गया था। संग्रहालयों की संरक्षण प्रयोगशालाओं में विलवणीकरण संयंत्र, अल्ट्रासोनिक/ लेजर क्लीनर, उच्च विभेदन सूक्ष्मदर्शी (हाई रेसोल्यूशन माइक्रोस्कोप), संरक्षण टेबल आदि सहित प्रमुख उपकरण उपलब्ध नहीं थे। संग्रहालयों में सुरक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी तथा आगंतुकों की प्रभावी निगरानी/ ट्रैकिंग का अभाव था।

(परिच्छेद 2.5)

अध्याय-III: सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड - प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर निष्फल-व्यय, ₹ 7.82 करोड़

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड ने प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट (परियोजना) पर ₹ 7.82 करोड़ व्यय किए परन्तु उसका उपयोग नहीं किया। ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता का भुगतान अभी किया जाना है।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में अनुबंध प्रबंधन

कंपनी ने विगत तीन वर्षों के दौरान 41 परियोजनाओं का निष्पादन किया जिसमें से 14 परियोजनाओं की नमूना-जांच की गई। छः परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के 15 से 40 माह के मध्य की अवधि के पश्चात् कार्य सौंपे गए। एक अनुबंध में कार्य सौंपे जाने के बाद विरोधाभासी प्रावधान एवं मूल्य विचलन खण्ड शामिल करने के कारण ठेकेदार को ₹ 12.25 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। सड़क चौड़ीकरण पर ₹ दो करोड़ का अस्वीकृत भुगतान तथा वस्तु एवं सेवा कर पर ₹ 24.57 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सामग्री खरीद एवं मालसूची प्रबंधन

2017-18 से 2019-20 के दौरान स्टोर की मदों की खरीद पर वार्षिक व्यय ₹ 100.26 करोड़ से ₹ 259.27 करोड़ से मध्य था। ₹ 38.13 करोड़ व ₹ 88.67 करोड़ का अतिरिक्त स्टॉक

क्रमशः 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान रखा गया। 2018-19 की समाप्ति तक अतिरिक्त स्टॉक रखने के कारण कंपनी को ₹ 4.88 करोड़ की सतत ब्याज हानि हुई। गत वर्ष की दरों से खरीद आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण कंपनी को सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन शुल्क वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक शुल्क और बढ़ेंगे।

(परिच्छेद 3.4)

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम

श्रमिकों की सेवा का कम उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान करने के कारण ₹ 80.84 लाख राशि की हानि

पूर्ण-कालिक आवश्यकता के अभाव के बावजूद अर्धअकुशल श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कम कार्य पर पूर्ण भुगतान किया गया; उनकी संविदा (ठेका) को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया; तथा उन्हें नियमित नियुक्ति दी गई इसके परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान हुआ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (निगम) को ₹ 80.84 लाख की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)